

बिहार सरकार

कृषि विभाग,

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-29/2014-269(आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 24-03-2015

MAIL/FAX

प्रेषक,

रामजी सिंह

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

विषय : नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु० 18010.8484 लाख रुपये (एक अरब अस्सी करोड़ दस लाख चौरासी हजार आठ सौ चालीस रुपये) (केन्द्रांश मद में 13980.3714 लाख रुपये एवं राज्यांश 1553.3746 लाख रुपये तथा राज्य योजना मद में कुल 2477.10240 लाख रुपये) की स्वीकृति के अधीन तत्काल केन्द्रांश मद में 7543.00 लाख रुपये एवं राज्यांश मद में 3584.96 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु केन्द्रांश मद की कुल ₹1,48,83,000 (एक करोड़ अड़तालीस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-आत्मा-08/2014-4542 दिनांक-30.09.2014 प्रतिस्थानी दिनांक-15.10.2014 द्वारा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु० 18010.8484 लाख रुपये (एक अरब अस्सी करोड़ दस लाख चौरासी हजार आठ सौ चालीस रुपये) (केन्द्रांश मद में 13980.3714 लाख रुपये एवं राज्यांश 1553.3746 लाख रुपये तथा राज्य योजना मद में कुल 2477.10240 लाख रुपये) की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु केन्द्रांश मद की कुल ₹1,48,83,000 (एक करोड़ अड़तालीस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹1,48,83,000 (एक करोड़ अड़तालीस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0217-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड-P2401001090217, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि. (2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

सिंह

विश्वासभाजु

(सिंहजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

269 (भावंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 24-03-2015

प्रतिलिपि :

2.

महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(155/24/3/15)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

269 (भावंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 24-03-2015

प्रतिलिपि :

वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी
/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार
पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना)
कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन कोषांग, कृषि विभाग, बिहार
पटना/प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला
कृषि पदाधिकारी /प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(155/24/3/15)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

269 (भावंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 24-03-2015

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट
पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुबोध

(155/24/3/15)
सरकार के संयुक्त सचिव।

नाथ